



प्रेषक,

कमलेश कुमार,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2

लखनऊ: दिनांक 21 मई, 2026

विषय:- केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरुद्ध सिद्धदोष बंदी मदनलाल पुत्र श्री बेचेलाल, निवासी जनपद-बरेली की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वरिष्ठ अधीक्षक (मु0) कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या-10870/प्रोबे0-5-दया0 बैठक-24.02.2025, दिनांक 05.03.2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरुद्ध सिद्धदोष बंदी मदनलाल पुत्र श्री बेचेलाल, ग्राम-फाजिलपुर, थाना-नवाबगंज जनपद-बरेली का निवासी है। बन्दी द्वारा दहेज की मांग पूरी न होने के कारण दिनांक 11.05.2015 को बन्दी द्वारा अपनी पत्नी के ऊपर मिट्टी का तेल छिड़ककर आग लगा दी जिससे उसकी मृत्यु हो गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-585/2015 में भा0द0वि0 की धारा-304बी, 498ए व 4 डी०पी० एक्ट के अन्तर्गत मा0 न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं0-01, बरेली के दण्डादेश दिनांक 23.11.2022 द्वारा आजीवन कारावास की सजा से दण्डित किया गया। मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में बन्दी की अपील लम्बित है, बंदी द्वारा दिनांक 21.01.2025 तक अपरिहार 09 वर्ष 06 माह 21 दिन तथा सपरिहार 10 वर्ष 01 माह 08 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है।

3- दयायाचिका समिति की बैठक-24.02.2025 में जेल रिपोर्ट के अनुसार बन्दी को मा0 न्यायालय द्वारा प्रदत्त आजीवन कारावास के सापेक्ष दिनांक 21.01.2025 तक अपरिहार 09 वर्ष 06 माह 21 दिन तथा सपरिहार 10 वर्ष 01 माह 08 दिन की भोगी गयी सजा के सापेक्ष रिहा होने पर समाज में प्रतिकूल संदेश जाने तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, बरेली द्वारा समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं किए जाने के दृष्टिगत, सभी बिन्दुओं पर सम्यक् विचारोपरान्त समिति द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

4- इस सम्बन्ध में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरुद्ध सिद्धदोष बंदी मदनलाल (बन्दी संख्या-50555) पुत्र श्री बेचेलाल, निवासी जनपद-बरेली की भारत का संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई की संस्तुति सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
कमलेश कुमार
उप सचिव।

संख्या-557/2026/767(1)/22-2-2025 तददिनांक....

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- जिला मजिस्ट्रेट, बरेली।
- 2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, बरेली।
- 3- निजी सचिव, मा0 मंत्री कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
- 4- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 राज्यमंत्री जी के सूचनार्थ।
- 5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव।